

अहकाम

वास्तव आदेशों दिनांक 27/08/19 को पेश
हैं।

8
9

पत्रावली पेश हुई। वज्रलाय फील्ड की
 प्रकरण में ज.पत्र टी. आई. पर बहस
 पूर्व में सुनी जा चुकी है। दोनों बहस
 वकील अर्थात् ज.पत्र में अंकित
 अभिलेखों को ब्या-ब्या दोहराते हुए
 T. I. A. Confirmation करने का निर्देश किया
 तथा दोनों बहस वकील अर्थात् ज.पत्र
 जवाब ज.पत्र टी. आई. में अंकित
 तथ्यों को ब्या-ब्या दोहराते हुए ज.
 पत्र टी. आई. खारिज करने का निर्देश
 किया। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व
 रिकॉर्ड, जवाब ज.पत्र टी. आई. का ^{पत्रावली दस्तावेज} का
 अवलोकन किया गया। वज्रलाय फील्ड की
 बहस पर सगौर मबत किया गया। चूंकि
 प्रकरण के मूल अधिकांशों का निर्धारण
 मूल वादपत्र में किया जाता है। ज.पत्र
 टी. आई. से संबंधित मूल वादपत्र में साक्ष्य
 वादी/उतिवादी पेश होने पर जिन्हें की जान
 जाद्विग्न डिक्ली जारी हो चुकी है। अतः तदनुसार
 फैसल वाद ख. नं. 312 एनका 0.29 है। तब
 प्रमाण वादगी तहसील खण्डेला में उभय प्रकरणों
 को मोकें एवं राजस्व रिकॉर्ड की प्रस्थापिति
 बतार खने हेतु अस्थायी निर्देशात्ता से पब्लिक
 किया जाता है। पत्रावली फैसल शुभाह होकर

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर से कम हो तब्या बाद तलमील दखिल
दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया
गया। 8/21/08/19

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला